

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 12-35/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 09 जुलाई 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.

**विषय.**—शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में.

**सन्दर्भ:**—वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 11-2/2011/नियम/चार, दिनांक 31-5-2011.

विषयान्तर्गत जारी संदर्भित आदेश के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक से वसूली योग्य राशि पर दिनांक 31-5-2011 के पूर्व की अवधि का ब्याज नहीं लिया जाएगा परन्तु वसूली योग्य सम्पूर्ण राशि पर इस तिथि के पश्चात् ब्याज की गणना की जानी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( मनीष रस्तोगी )

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.